भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 978
जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्याय मित्र

978. श्री राजन बाबूराव विचारे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रस्तावित न्याय मित्र के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) महाराष्ट्र के जिला न्यायालयों में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश विभिन्न जिला न्यायालयों लगभग 100 न्याय मित्र लगाए गए हैं ; और

(घ) यदि, हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्याय मित्र का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 15 वर्ष पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है।

(ख) : महाराष्ट्र में, वर्ष 2019-20 के दौरान मुंबई सिटी सिविल न्यायालय, औरंगाबाद जिला न्यायालय औऱ नागपुर जिला न्यायालय में प्रत्येक में एक 3 न्याय मित्रों को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान, नागपुर जिला न्यायालय में अप्रैल, 2022 से एक न्यायमित्र नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) : 2017 में, न्यायमित्र कार्यक्रम के आरंभ से, कुल 38 न्याय मित्र को देशभर के विभिन्न न्यायालयों में नियुक्त किया गया था। तथापि, वर्ष

2020-2021 के दौरान कोविड महामारी द्वारा न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी बनाये रखना प्रोटोकाल कारित होने के कारण किसी भी न्याय मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सका । वर्ष 2021-2022 के लिए, अप्रैल, 2022 के मास में 11 जिला न्यायालयों में 11 न्यायमित्रों को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किए गए न्याय मित्र का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-क** पर है।

****

उपाबंध - क

श्री राजन विचारे, मंत्री द्वारा न्यायमित्र पर उठाये गए लोकसभा अतांराकित प्रश्न सं. 978 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण							
2017-2022 तक नियुक्त किए गए न्याय मित्र की अंतर्विष्ट संख्या का राज्य वार विवरण							
क्र.सं.	**राज्य**	**वर्ष 2017-2018**	**वर्ष 2018-2019**	**वर्ष 2019-2020**	**वर्ष 2020-2021**	**वर्ष 2021-2022**	**कुल**
1.	असम	-	-	-	शून्य*	02	02
2.	बिहार	01	-	-		-	01
3.	कर्नाटक	-	-	-		01	01
4.	महाराष्ट्र	-	-	03		01	04
5.	ओडिशा			02		02	04
6.	राजस्थान	04	03	02		01	10
7.	उत्तर प्रदेश	05	-	01		02	08
8.	पश्चिम बंगाल	04	01	01		02	09
	कुल	14	04	09		11	38

* वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड महामारी द्वारा न्यायालयों के बंद होने और सामाजिक दूरी बनाये रखना प्रोटोकाल कारित होने के कारण किसी भी न्याय मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सका ।

****